NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

C-2/10, Safdarjung Development Area

Sri Aurobindo Marg, New Delhi-1100016

New Delhi, the 29th December 1998

F. No. 28-2/98-99/NCTE:—In exercise of the powers conferred under sub clauses (f) and (h) of sub-S t on 2 of Section 32 read with Section 14 and 15 of National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 93) National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations :

1. Start Title and Commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Norms and Conditions for recognition of M.Ed. face to face and M.Ed through distanae education) Regulations, 1998.

2. Applicability

These regulations shall be applicable to institutions including universities, open universities, constituents thereof and any other bodies called by whatever name and style and offering any of the courses specified in Para 1 above.

3. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires:—

(i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).

(ii) "New course or training in teacher education" means any course or training in teacher education which was not being offered by the institution at the time of recognition but is proposed to be offered by the recognised institution.

(iii) "Regional Committee" means a committee established under Section 20.

(iv) All other terms shall have the same meaning as contained in Section 2 of the Act.

4. Application for Recognition

(a) Every institution offering/intending to offer a course or training in Master in Education Programme shall make an application in the form obtainable from Regional Committee of NCTE on payment of price fixed by NCTE from time to time for recognition under the Act.

(b) The application shall be submitted to the Regional Committee in whole territorial jurisdiction the institution is located.

5. Application for permission to start new course or training or increase in intake.

(a) Where any recogsnied institution intends to start any new course or training in Master in Education Programme it shall make new application in the form obtainable from Regional Committee of NCTE on payment of price fixed by NCTE from time to time the Regional Committee concerned.

(b) Where any recognised institution to increase its intake of students beyond the intake approved for such course or training, recognised institution shall make an application to the Regional Committee of NCTE concerned.

(c) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

6. Manner of making application.

(a) Application for recognition shall be made to the Regional Committee of NCTE concerned.

(b) Application for permission to start new course or training in Master in Education Programme or increase in intake approved shall be made by the recognised institution to the Regional Committee concerned.

(c) Application for recognition of institutions shall be submitted in triplicate.

(d) Application for recognition of institution offering a course or training in teacher training immediately before 17th August,1995, shall be submitted directly to the Regional Committee concerned.

(e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education ,but not functioning immediately before 17th August, 1995 shall submit application for recognition with a "No Objection Certificate" from the respective State Govt. or Union Territory administration in which the institution is located.

(f) Application for permission to increase intake by recognised institutions under sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with "No Objection Certificate" from the State or Union Trritory in which the institution is located.

7. Fees

Application for recognition of the institution or permission to start new course or training or to

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

increase the intake approved by recognised institutions shall be accompanied by fees for such application as indicated from time to time by Council and shall be in the form of Demand Draft drawn in favour of "Regional Committee, National Council for Teacher Education" payable at the place of location of the Regional Committee concerned.

8. Time limit for making applications

(a) Every institution to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee atleast four months before the scheduled date of commencement of next academic session.

(b) Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institution shall be submitted so as to reach the regional Committee concerned at least four months before the scheduled date of commencement of next academic session.

9. Conditions for recognition

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of secrutiny and verification of facts as contained in the application for recognition and or inspection of the institution where considered necessary or any other manner deemed fit, that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other conditions required for the proper functioning of the institutions for the course or training in Master in Education Programme which are being offered or intending to offer.

(b) Regional Committee shall ensure that every institution applying for recognition fulfil the norms and standards given in Appendix (I) and (II).

10. Conditions for grant of permission to recognised institutions to start new course or training or increase in intake.

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application of recognised institution for starting a new course or training in Master in Education Programme or increase in intake approved, and or inspection of the recognised institution where considered necessary or any other manner deemed fit, that institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other conditions required for offering the course or training or increase in intake.

(b) Regional Committee shall ensure that every recognised institution applying for permission to start a new course or training or increase in intake fulfil the norms and standards given in Appendix (I) and (II).

SURENDRA SINGH
Member-Secretary

Appendix-I

Masters In Education Programme (M.Ed.)
Norms & Standards for a unit of upto 25 students

1. Preamble

The Master's degree programme in Education (M.Ed.) is a professionally oriented and interdisciplinary programme of post-graduate studies in Education. Depending on the actual design and declared objectives, the programme provides opportunities for students to extend as well as deepen their knowledge and understanding of Education, specialize in selected areas including Teacher Education and also acquire related research skills.

Presently M.Ed. is offered through various modes: full time, regular one-year programme; part-timer vacation two years programme, two-years distance education/correspondence programme etc. Some institutions—Postgraduate Departments or Colleges of Education—conduct M.Ed (and/or other P.G. courses like M.A. (Education), M. Phil, Ph. D) only and some others conduct B.Ed also. The norms and standards laid down here relate specifically to the regular one-year M.Ed. and apply to both the situations. In the latter case, the resources are mutually shared between the programmes. As such, both the norms for the B.Ed and the M.Ed must be satisfied separately, particularly, with regard to some basic requirements of, e.g., numbers of teachers and classrooms, except that the Head/Principal will be one person. Hall, seminar room, labs, library, common rooms, toilets, hostel etc. facilities may be shared (with the B.Ed as well as others if the institution is part of a University or College).

The M.Ed. programme would comprise theoretical courses including specialised courses in the discipline of education and related practical/field work. In addition, research work in the form of a dissertation would form an essential part of the programme.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

138

The norms and standards are applicable for recognition of institutions, permission of courses and consideration of additional intake of seats. The norms are stated as Essential and Desirable. The Essential refer to the minimum requirements that should be fulfilled in order to be eligible for recognition/permission and the Desirable indicate directions which institutions should strive to move towards in a reasonable period of time. The norms cover: Human Resources, Physical infrastructure, Academic input and Financial Provisions.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under Physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main purpose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

2. Human Resources

2.1. Teaching Staff

Intake of students upto 25

Faculty	Requirement		Qualifications
	Essential	Desirable	
1. Head/Principal	1 (in the rank of Professor)	1	As per UGC norms with Ph.D in Education
2. Readers	2	2	As per UGC norms with P.G. Degree in Education with Ph.D in Education/ in an allied subject.
3. Lecturers	2	3	As per UGC norms
Total	5	6	

Note: One additional teacher for an additional intake of 10 or part thereof.
Maximum permissible intake-50.

2.2. Technical Support Staff

Designation	Staff No.		Area	Qualifications
	Essential	Desirable		
1. Librarian	1	—	Library Science	As per UGC norms and qualifications
2. Technical Asstt.	1	2	Psychology Laboratory and Media	As per University/State Govt. prescribed qualifications

2.3. Administrative Staff

Designation	Number	Qualifications
1. Clerk, Typist	1+1	As per University/State Govt. norms
2. Helper	2	As per University/State Govt. norms

3. Physical Infrastructure

The institution should be located in a noise-free and pollution free atmosphere. There should be good transportation and communication facilities and availability of water and electricity. The land area chosen must provide enough space for institutional building, for future expansion and adequate open space for organizing games and sports.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स दिल्ली-54

139

IndiaCode

3.1. Built-in Space

For a unit of 25 students, the following built-in space is prescribed as the minimum.

	Essential	Desirable	Area
(i) Class rooms	2 (Depending upon total number of groups/specialities)	4	60 sq. m
(ii) Hall	1	—	125 sq. m
(iii) Seminar Room	1	—	100 sq. m
(iv) Special Rooms			
(a) Library-cum-reading room	1	—	100 sq. m
(b) Laboratories			
(i) Psychology lab	1		50 sq. m
(ii) ET Media Lab	1		50 sq. m
(v) Rooms			
(a) Head	1		25 sq. m.
(b) Faculty	2 (two-seat room)	4(1 for each teacher)	20 sq. m.
(c) Office-cum-store	1	1	40 sq. m.
(d) Canteen	—	1	Appropriate Size
(vi) Separate toilets for girls, boys and teachers/staff	3	5	25 sq. each

(vii) Provision for drinking water facilities in atleast two places with drinking water available at all times during working hours.

3.2. Play Ground

Essential	Indoor games facilities. Adequate & varied
Desirable	Play ground for outdoor games

3.3. Hostel

It is desirable to have suitable, decent, well maintained and efficiently run hostels for men and women, particularly, if there are many outstation students.

3.4. Furniture

	Number	Desirable	Area
(i) Students' desks & seats	One for each student	a few extra	
(ii) Hall	Well furnished		125 sq. m.
(iii) Chairs and tables for teachers	As required (1) for each)	a few extra	
(iv) Work tables for laboratory	2 large size		(1.25×0.9)
(v) Book shelves for library. books	As required		
(vi) Reading tables with chairs for 30 students in reading room.	30 Chairs	40	

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

140

IndiaCode

3.5 Equipment

3.5.1. Books & Journals

	Essential	Desirable
(i) Books including text, reference and research literature.	2000	5000
(ii) Journals-Professional including Research	5	10

At least 200 books be added every year. This may include additional and multiple copies of text books and reference books.

3.5.2. Educational Technology Media Lab

Essential

OHP, Filmstrip/Slide Projector, TV & VCR, Audio Recorder/Player, computer system alongwith print media materials and audio-video cassette library.

Desirable

Internet facilities, Still Camera-1, Video Camera-1

3.5.3. Psychology lab

Apparatus for experiments related to educational Psychology. Intelligence Tests (Performance, non-verbal, verbal), Aptitude Tests, Creativity Tests, Personality Scales, Attitude Tests and Interest Inventories, according to curricular requirements.

4. Academic Inputs

4.1. Admission

4.1.1. Eligibility

Candidates possessing at least 45% marks in the aggregate in the Bachelor's degree/Master's degree examination of a recognized University and 50% marks in the B.Ed.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

4.2 Selection Procedure

Candidates will be selected for admission on the basis of merit. Merit shall be determined by the performance at qualifying examination and/or by a selection test and/or interview to be conducted by an agency the Institution itself/a University/National level/State level-approved by the NCTE.

4.3 Curriculum Transaction

		Essential	Desitable
i)	(a) Number of working days per year/session	200 days 1200 Hours	210 days 1260 Hrs.
	(b) Admission	5 days	

All admission work must be initiated before beginnirg of the session and shall be completed within 5 working days after reopening of the institution.

c) Teaching days including field work 190 days

d) Examination days 5 days

e) A working day shall be of a minimum of 6 hours duration, for a six day week. For a 5 day-week proportionate number of hours (7.2 hours).

ii) Dissetration/research guidance- per teacher not more than 5 students

iii) Curriculum transaction modes- lecture, discussion, paper writing, seminars review of literature.

iv) Evaluation - continuous; internal, as much as feasible

5. Financial Provisions

5.1 Endowment and Reserve Fund

The Teacher Education institutions offering M.E.d. Programme should possess sufficient funds to meet the recurring and non-recurring expenses.

The Govt./Local Self Govt./University maintained institutions should, as faras possible, have an undertaking to provide adequte finance to meet the expenses of the institutions.

The institutions under private management should have an endowment fund of rupees 5 lakhs or an amount as required by the University or State Govt. norms. Besides, they should have a reserve fund adequate to meet three months salary of all their staff.

5.2 Financial Management

Adequate provision should be made in the annual budget of the institution. The funds of the institution should be deposited in a Nationalized Bank/State Bank of India or its subsidiaries.

The institution must adopt financial procedures prescribed by the University/State Government concerned.

5.3 Salary Structure

The institution should adopt the salary structure prescribed by the University/Central/State Govt. as the case may be for its teaching and non-teaching staff.

5.4 Cost of Instructional Material

Psychology and Education		
Educational Technology/Media		
Games and Sports		
Books and Journals		
Contingencies		
Essential	Rs. 1000/- per student	
Desirable	Rs. 1500/- per student	
Equipments & Books	Essential 1.00 lakh	Desirable 2.00 lakhs

5.5 Fee Structure

5.5.1 Admission test fee

The fee charged for the Admission Test, if any should be in consonance with the estimated expenditure involved in

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
141

conducting the same. Any surplus amount saved out of such fee must be used to promote academic activities in the teacher education institutions and/or for the welfare of the students.

5.5.2 Tuition and other fees

The fee structure followed by the institution should correspond to the norms prescribed by the University/Central/State Govt. from time to time. In any case the total annual receipts from students fees should not exceed the total recurring expenditure of the institution for the course. It is desirable to provide some free studentships for meritorious poor students.

6. More than One Course in the Same Institution

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

APPENDIX II

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

[M.Ed. DISTANCE EDUCATION INCLUDING CORRESPONDENCE.]

1. Preamble

The NCTE accepts distance education as a useful and viable for training teachers and teacher educators presently serving in the educational systems of the country. This document presents the norms and standards leading to M.Ed. degree through Distance Mode including correspondence for teachers/researchers/ administrators in field of education.

The norms apply to all institutions offering distance M.Ed. programme either as an exclusive educational programme or as one of several other training programmes. In the latter case, the buildings and other physical facilities may be shared with the other programmes without compromising the quality of the course. The norms and standards specify the details of the conditions to be satisfied for recognition, permission and additional intake of students for the M.Ed. programme.

The M.Ed. programme would comprise theoritical courses including specialised courses in the discipline of education and related practical/field work. In addition, research work in the form of a dissertation would form an essential part of the programme.

The norms are stated under two categories/levels i.e. (i) essential norms are the minimum requirements that all institutions should fulfill in order to be eligible for recognition/ permission and additional intake of seats and (ii) desirable norms indicate directions which institutions should strive to move towards in a reasonably short period of time.

The measurement of land, buildings, space, rooms, library, etc. mentioned in the document under Physical infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main purpose is to ensure that the rooms, hall etc. should be of a size in which the teaching-learning of required numbers can be conducted conveniently and comfortably.

1.1. Guidelines For M.Ed. Programme Through Distance Education Including Correspondence Mode-A Summary

- Course Title—M. Ed. through Distance Education Mode.
- Jurisdiction—Each University will admit only those candidates who are currently working in school systems located in the territorial jurisdiction assigned to it by the Act or State Union Government.
- Entry Qualifications--Only those candidates possessing at least 45% marks at graduate/post graduate degree level, along with at least 50% marks in aggregate in B.Ed. or its equivalent, having at least two years experience as a full time regular teacher educator/researcher/policy planner/teacher/ educational administrator, located within the jurisdiction of the university/institution. Admission will be considered on the basis of length of service in the education system, qualifying marks at the B.Ed. examination or its equivalent, easy access to the study centres. Preference is to be given to candidates working in the education system.
- Number of Seats:—The maximum number of seats shall be determined every time by consultation between the university and the Govt. concerned, taking the following parameters into consideration.
 - Jurisdiction.
 - Human resource development requirements.
 - Organizational capacity including that of the study centre(s) of the university.
- Study centre—Maximum 25 students per study centre(s). The following conditions must be met by the study centre:
 - Maximum number of students in a study centre shall not exceed 25 per batch.
 - Capacity of conventional teacher education system to support the delivery of programme.
 - Only those teacher education institutions which are offering B.Ed., M.Ed. Programme and are recognized by the NCTE shall be designated as study centres.
- Duration of the Course—24 months excluding the time taken for admission. The maximum period to complete the Programme shall not exceed four years.
- Fees—Fee shall be limited to cover the operational cost of running the programme as determined by the University and the concerned Government.
- Programme Components
 - Adequate amount of self-learning printed course-material in distance education format. Sample evaluation of material will be conducted by a Committee set up by the NCTE.
 - Provision for adequate number of audio-video packages facilities such as teleconferencing will be desirable.
 - Regular assignments which are fully evaluated within stipulated time. There would be two assignments in each of the papers/courses offered.
 - Minimum 360 hours of compulsory contact programmes including dissertation guidance not exceeding a maximum of 6 hours per day, spread over 12 weeks. These will be conducted by qualified teacher educators from the university departments/Colleges of education with emphasis on group work, individual and collective reflection, experiential learning, and direct and mediated experiences of field using small groups.
 - Evaluation shall be comprehensive and continuous, with a minimum of 25% as internal evaluation and 75% external.
 - Staff—minimum 5 teachers for an intake of upto 250 students at the Headquarters Nodal Centre. Every study centre will have an additional 5 part time teachers including one co-ordinator for 25 students.
 - Examinations will be conducted on specified days, outside the period assigned to the contact programmes. A minimum of 80 per cent attendance in contact programmes would be necessary.

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
142

2. Human Resources

2.1. Staff

(a) Staff for Headquarters/Nodal Centre

The M.Ed programme through Distance Education mode includes a number of activities like course designing, counselling, dissertation guidance, course development, checking student's assignments, monitoring self corrective learning materials, organizing contact programmes, orientation of the staff at study centres, etc. The faculty at the Headquarters/Nodal centres will ensure proper implementation in respect of all these. It is essential that facilities and expertise be made available both at the university headquarters as well as study centres. The Headquarters/Nodal Centre would not only act as an administrative body but also act as active resource centre. It is essential to appoint full-time well qualified staff at Headquarters/Nodal Centre Additional part-time faculty should also be made available as per the needs of the students.

There shall be faculty strength of atleast five members including one Professor, two Readers and two lectures at the Headquarters/Nodal Centre for an intake of up to 250 students to co-ordinate programme delivery, course maintenance and revision. For every additional 100 students or part thereof there shall be one additional faculty member.

(b) Staff for Study centre

At the study centre there shall be at least one teacher educator who will be acting as a coordinator and at least four other teacher educators on part-time basis for an intake of twenty five students. Requisite number of additional part-time faculty shall be hired for dissertation guidance, workshops and contact programmes as per the requirements.

2.2. Teaching Staff

Designation	Number Required		Specialization	Qualification & Experience
	Essential	Desirable		
Head Director (Professor's Rank).	One	—	Education	As laid down by UGC/Government Norms; Ph. D. in Education with Masters Degree with first/second Class and 10 years of experience in teaching and/or research or administration in educational institutions/management development of instructional materials.
Reader in Education	Two	—	do	As laid down by UGC/Government Norms; Ph.D. in Education with Masters degree in Education and five yeas experience in teaching/research and/or additional qualification in distance education.
Lecturer in Education	Two	—	do	As laid down by UGC/Government Norms Ph.D. in Education with Masters Degree in Education.

Note : While appointing staff care should be taken to cover as many foundation as well as elective subjects as possible.

2.3. Technical Support Staff

Designation	Essential	Desirable	Qualification
Assistant Librarian	1	2	Diploma in Library Science
Technical Assistant	1	2	ITI Certificate/Diploma HSC with training in A-V, B.Sc..
Computer Operators	2	3	Diploma in Computer Education.

2.4. Administrative Staff and Helpers*

Designation	Essential	Desirable	Qualification
Office Assistant-cum-Typist	1	UDC-1	As per University/Central/State Govt. norms
Accounts Asstt.-cum-Clerk	7	LDC-Account-1, Typist-1	Do.
Helpers	3	5	Do.
AR/Office Superintendent/Section Officer	37	—	Do.

*Note : In case any other teacher-education programme is already operational then the administrative staff may be shared in proportion to the work load by appointing additional staff.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

143

IndiaCode

2.5. Nature of Employment of Staff

The core teaching staff shall be appointed on full time and regular basis. Supporting academic, administrative and technical staff may be appointed on temporary/adhoc/part-time-basis in the beginning. In all cases properly constituted selection committee as per UGC/University/Government rules will select the candidates.

The salary structure of teaching staff should be as per the Government/UGC Norms..

3. Physical Infrastructure
Space and Buildings

3.1. Headquarters/Nodal Centre

Nodal Centre will be the universities/institutions that will undertake the responsibility of running the course. Nodal Centre will (a) design, plan, and develop course material (b) plan and produce audio-video gadgets (c) design personal contact programme (d) make all necessary arrangements for study centres, field practicum centres and (e) fund, guide, supervise and evaluate all programme components.

3.1.1. Land Area and Location

Adequate land area in the range of approx. 1000 sq. m. to 1500 sq. m. has to be provided for various academic and administrative functions. Adequacy of land area will depend upon the socio-economic conditions of the region, curricular requirements, staff strength etc.

The institution should be preferably located in a noise and pollution free environment. There should be good transportation and communication facilities. Sufficient drinking water and regular electricity should be available. Toilet facilities for staff, men and women students should also be available.

3.1.2 Building Space

Rooms	Furniture	Floor Area
1. Head's room (1)	Chairs-6; Table-1; Almirah-1	20 sq. m.
2. Faculty Rooms (2)	Chairs and Tables one each, Some extra chairs/ seats, Almirah—one each	8 × 20 sq.m.
3. Material Production Centre*	Filing cabinets, Almirahs as needed	80 sq. m.
4. Store Room (General) (1).	—	25 sq. m.
5. Store Room for storing produced material (1)	—	50 sq. m.
6. Office Rooms (1)	Filing cabinets, Almirahs Tables, Chairs as needed	2 × 40 sq. m.
7. Library** (1)	Tables and Chairs for 30 persons Catalogue cabinet, Book Shelves as needed	80 sq. m.
8. Computer Room (1)	Computer Table-1, Chair-1, Chair for console-1	20 sq. m.
9. Conference Room or Committee Room (1)	Long Table-1, Chairs-25 Tables and Chairs—25 each	60 sq. m.

*Material Production Centre-Production Wing

Distance Education institutions produce and use training, teaching, learning and evaluation materials. The strength of the programme lies in the quality, quantity and variety of these materials.

It is desirable to have equipment like DTP with laser printer, dot matrix, Xerox machine, electronic typewriter and printing facility and well equipped, audio and video production centres. The audio production centre require audio recording machines, audio cassettes for reproduction of multiple copies of high quality, sound dubbing equipment and editing machines. The video production centre having equipments like video cameras, light and sound equipment, VCRs, editing equipment, may be added for producing video materials.

**Library

It is essential that the Headquarters/Nodal centre has a well equipped library with a minimum of 1000 books in various branches of education in addition to standard reference books, handbooks, encyclopedias and at least 12 professional journals. There should be a provision of addition of at least 100 recently titles every year.

3.1.3. Staff Quarters
Desirable

Principal's/Director's residence may be provided on the campus. Residential quarters for at least 50% of the teaching staff may also be provided. Residential accommodation for all staff (both teaching and non-teaching) may be provided in those areas where housing is an acute problem.

3.2. Study Centres

The study centres could be spread over different teacher education institutions/ colleges affiliated to the university, Only those teacher education institutions offering B.Ed./ M.Ed. programme which are recognised by the NCTE shall be designated as study centres provided that only one study centre shall be hosted by one such institution. Adequate space and facilities should be available for organising tutorials, counselling, group discussions, individual studies and display of assignments and response materials of students etc.

It should be ensured by the Headquarter/Nodal Centre that the institutions designated as study centre will provide requisite facilities for smooth running of the M.Ed. Distance education programme.

3.2.1. Building Space and Facilities

The following built in space is prescribed as the minimum essential:

	Number	Area
(i) Classroom	1	20 sq m.
(ii) Multipurpose room	1	60 sq m.
(iii) Hall	1	125 sq m.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

(iv) Multipurpose Laboratories for Computer, Psychology Practicals, ET Lab etc.	1	Approx 60 sq m. +45 sq m. for storage space
(v) Library cum reading room for at least 25 students	1	50 sq m. including storage space
(vi) Principal's room with attached toilet facilities	1	25 sq. m.
(vii) Staff room	1	40 sq m.
(viii) Office room	1	40 sq m.
(ix) Store room	1	25 sq m.
(x) Common room with adequate space for women students		
(xi) Separate toilets for girls, boys and teachers/staff		25 sq m.
(xii) Provision for drinking water facilities in at least two places with drinking water available at all times during working hours.		

Desirable

(i) Seminar room	1	75 sq m. for 25 students
(ii) Separate laboratories for Science section Education Psychology, Educational Technology	1 each	75 sq m. with 15 sq. m. for storage
(iii) Small group work rooms	2	25 sq. m.
(iv) Separate room for teachers	4	20 sq. m.
(v) Canteen, if possible on co-operative basis		

The measurements mentioned as essential or desirable serve as a guide. It is to be ensured that the rooms etc. should be of a size in which the teaching-learning of the required can be conducted conveniently and comfortably.

3.2.2. Multi-purpose Laboratory

A multi-purpose laboratory may include :

(a) Psychology Laboratory

Institutions of Distance Teacher Education should have a Psychology Laboratory for educational and psychological tests and other instruments. A separate Psychology Lab having adequate accommodation for storing/exhibiting, equipment, and other materials is desirable.

(b) Educational Technology Laboratory

A laboratory for housing adequate audio-visual, multi-media equipment including computer should be available for practical work by students in smaller groups. The staff of the institute may also use this lab for the purpose of producing instructional materials.

3.2.3. Equipment for Course-Specific Laboratory

(a) Psychology Laboratory

Essential

Apparatus for experiments related to educational psychology as per course requirments. Intelligence Tests (performance, non-verbal and verbal), Aptitude Tests, Personality Scales, Attitude Tests and Interest Inventories.

Desirable

Multiple sets of the above tests, sensory-motor tests.

(b) Educational Technology

Essential

Audio Cassette recorder player (Two-in-one), Slide-cum-film-strip projector, 16/35 mm. Still Camera, TV, VCP, Audio/Video Cassettes and Art materials for preparation of charts and transparencies and slides, Personal Computer (PC), Radio, VCR, Amplifier, Loudspeakrs, Microphone, Video Camera.

Desirable

Internet, E-Mail.

3.2.4. Books and Journals

Essential

The library at the study centre should have initially multiple sets of self instructions modular materials and text books. A minimum of five sets of instructional/modular materials may be made available. Apart from this, there should be at least 2000 books including text books and reference books. The study centre should subscribe to a minimum of twelve professional journals, national and international. It is essential to add atleast 100 new titles every year.

Desirable

At last 5000 books including text books and reference books, with a provision of adding at least 150 new titles per year. It should subscribe to at least 15 professionl journals.

3.2.5. Furniture

All rooms in the study centre should have adequate and appropriate furniture. The norms for furniture in different rooms of the institution are as follows :

NORMS

NATURE OF FURNITURE	ESSENTIAL	DESIRABLE
1 2	3	4
1. For counselling sessions		
1 Set for each student	25 sets for each class room.	30 sets
Table & Chair for Teacher	1 set (2.5m × 1m × 1m)	Appropriate size
Black board etc.	One	Two
2. For Seminans etc.	—	An adequate number to accommodate 35 students and 10-15 teachers

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

1	2	3
3. Hall/Conference room with Dais : (One) & Chairs	—	Well Furnished and to accommodate 100-150 people.
4. Multi purpose Laboratory: (Sience, Psychology, Educational Technology)		
Work Tables (1.25×0.9×0.1)	2 in each laboratory	5 in each lab
Stools (0.6 ht.)	25 in each lab	50 in each lab
Demonstration Table & Chair,	1 in each lab	2 in each lab
Steel Almirah	1 in each lab	2 in each lab
Storage racks	2 in each lab	4 in each lab
5. Principal/Head/Director's Room Table, Steel Almirah, Book Rack, Filing Cabinet, Telephone/Fax Chairs	One each 10	One each 15
6. Teachers' Room Almirah/Cabinets, Tables & Chairs	One	—
7. Office Room Chair & Table, Extra Chairs, Steel Almirah/Filing Cabinet, Filing Racks Notice Board, Stools	One or two adequately furnished	
8. Store Room Steel Almirah, Storage Rack, etc.	Three in each store room	Four or Five in each store room
9. Students' Common Room Chairs, Long Tables etc.		To accommodate 40 students

3.3 Personal Contact Programme Centres

Personal Contact Programme is to be organized at the study centres. These centres will be equipped with adequate AV equipment. Staff at these centres may include one coordinator, at least four teacher educators and requisite technical support personnel on part-time basis. Part-time teachers may be selected depending upon the requirements of electives offered. Adequate facilities for Coordinator's room, rooms for counselling, display of Audio-video gadgets, library books and other learning materials and stores etc. shold also be made available.

4. Academic Inputs

4.1 Eligibility

Only those Candidates possessing 45% mark at graduate/post graduate degree level, along with 50% marks in aggregate in B.Ed. or its equivalent having at least two years experience as full time regular teacher educator, researcher, policy planner, teacher and administrator, located within the jurisdiction of the University/institution.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/Legislative provisions.

4.2 Selection Procedure

Candidates will be selected for admission on the basis of merit. Merit shall be determined by the length of service in the education system, performance at qualifying examination (B.Ed.) or its enuivalent, easy access to study centres and/or by a selection test and/or interview to be conducted by an agency—a University/National level/State level or the Institution itself-approved by NCTE Preference may be given to those working in teacher education institutions, DIETs etc.

4.3 Materials

(a) Adequate amount of self-learning printed course material in distance education format, for which sample based evaluation of the printed materials may be done by a Committee to be set up by NCTE.

(b) Adequate provision for Audio and Video packages in each course/paper.

(c) Regular Assignments which should be duly evaluated within stipulated time. There would be two assignments in each of the papers/courses offered.

4.4. Contact Programmes

Minimum 360 hours of compulsory contact programmes including dissertation guidance not exceeding the rate of a maximum of 6 hours per day, spread over 12 weeks. These will be conducted by qualified teacher educators from the university departments/Colleges of Education with emphasis on group work, individual and collective reflection, experiential learning, and direct and mediated experiences of field using small groups.

There will be a minimum of 360 hours of compulsory contact programmes which will be utilized for following instructional/academic/research activities : theory, practicum, group discussion, dissertation, internsip in teacher education institutions.

4.5. Evaluation

Formative and summative evaluation will be conducted in all curricular and co-curricular areas of the courses. The University/Examining bodies will ensure continuous and comprehensive evaluation as per the guidelines. The written practical, oral, and other innovative forms of evaluation will be employed as and when necessary. The institution

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
146

IndiaCode

will ensure continuity of feed back on the basis of evaluation of assignments, practical, and other activities. Formative (internal) evaluation shall have a minimum of 25% weightage for theory courses. There shall be separate pass marks for both formative (internal) and summative (external) evaluation for each paper course. The weightage for internal evaluation and external evaluation for the dissertation/project work shall be 50% each.

5. Financial Provisions

5.1. Endowment and Reserve Funds

The institution running the M.Ed. Distance Mode should be financially sound and viable. Government/ Local Self Government/University institution should under-take to provide adequate finance from time to time. Non-Government institutions should have an endowment fund of Rs. five lakh and a reserve fund of an amount equal to three months salaries of staff (unless full grant-in-aid is assured).

5.2. Auditing

The institution must adopt coursewise budgeting expenditure sanctioning, accounting and auditing proeedure/sytems. The annual accounts should be audited be audited by authorities incluiing duly approved Chartered Accountant.

5.3. Cost

5.3.1. Non-Recurring Cost
Nodal Centre

Suitable institutional building with adequate space and fittings for (a) academic wing, (b) administrative (c) resource wing alongwith Study Centres and Personal Contact Programme Centres (PCP). Adequate cost estimation of non-recurring items like buildings, books, furniture endowment funds, etc. shall not be less than Rs. 40 lakh 5.3.2 Recurring Cost

Salaries (for regular faculty/ staff)	:	As per UGC/Government norms
Other recurring costs	:	@Rs.3000/- per year per student
Expenditure on library	:	
Books and Journals etc.	:	@Rs. 200 per year per student

6. More than One Course in the Same Institution

If one or more courses in teacher education are run by the same in institution in the same building complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

No. F. 28-11/95-NCTE—In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Section 14 and 15 of the (NCTE. Act, 1993 (No. 73 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following Regulations to amend the NCTE (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995 issued vide F. 28-11/95-NCTE dated December 29, 1995.

1. These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training (Amendment) Regulations, 1998.

2. These shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

3. Sub-para (b) & (c) of para 7 (Time Limit for Making Applications) of the National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations 1995 are hereby amended and stand substituted with the following :—

(b) Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee atleast four months before the scheduled date of commencement of the next academic session.

(c) Application by recognized institutions for permission to start any new course or training in teacher education or increase the intake approved, shall be submitted so as to reach the Regional Committee atleast four months before the scheduled date of commencement of the next academic session.

SURENDRA SINGH
Member Secretary

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999

147

5.0 Financial Provisions :

5.1 Endowment and Reserve Fund

The Secondary Teacher Education institutions should posses sufficient funds to meet the recurring and non-recurring expenses.

The Govt./Local self Govt./University maintained institutions should have an undertaking to provide adequate finance to meet the expenses of the institutions.

The institutions under private management should have an endowment fund of rupees five lakhs or an amount as required by the University or Government norms. Besides they should have a reserve fund adequate to meet three months' salary of all the staff.

5.2 Financial Management

Adequate provision should be made in the annual budget of the institution. The funds of the institution should be deposited in a Nationalized Bank/State Bank of India or its subsidiaries.

The institution must adopt financial procedures prescribed by the Central/State Government concerned.

5.3 Salary Structure

The institution should adopt the salary structure prescribed by the U.G.C./Central/State Govt. as the case may be for its teaching and non-teaching staff.

5.4 Funds for Instructional Material for the following :

Science Experiments and Activities/
Psychology and Education
Educational Technology
Workshop and Work Experience
Art and Music
Games and Sports
Books and Journals
Contingencies

Essential — Rs. 600/- per student

Desirable — Rs. 900/- per student

Equipment & Books	Essential	Desirable
	1.00 lakh	2.00 lakhs.

5.5 Fee Structure

i) Admission test fee

The fee charged for the Admission Test, if any, should be in consonance with the estimated expenditure involved in conducting the same. Any surplus amount saved out of cush fee must be used to promote academic activities in teacher education institutions and/or for the welfare of the students.

ii) Tuition and other fee

The fee structure followed by the institution should correspond to the norms prescribed by the Central/State Government/University from time to time. In any case, the total annual receipts from student fees should notal exceed the total recurring expenditure of the institution for the course. It is desirable to provide some free student-ships for meritorious poor students.

More than one course run by the same institution

6.0 If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR, PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT.

The 24th February, 1999

No. Wakf / 42/(2)/88/Vol. II : I Dr. Syed Zafar Mahmood, Administrator, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. in exercise of the power conferred under section 27 of the Wakf Act, 1995, hereby celegate the following powers to Sh. M. K. Khan, Chief Executive Officer, Punjab Wakf Board with effect from 26-12-1998 :—

1. To examine the report of Wakf Commissioner and publish in the official Gazette the list of Wakf(s) as per Wakf Rules framed under the Wakf Act.
2. To sue and defend cases on behalf of the Board in Civil, Criminal, Revenue Courts and before any authority by engaging advocates for the same and to take proper legal steps concerning Wakf Properties.
3. To institute and defend writ petitions, appeals, revisions, review and execute applications in Courts or before any authority.
4. To call for such returns, statistics, accounts and other information from the Mutwallis in respect of Wakf Properties as may be found necessary or as the Board may from time to time require.
5. To inspect or cause the inspection of accounts, record of the Board or deeds and documents relating to any Wakf.
6. To allow inspection of the proceedings or other record of the Board and to issue copies of the same on payment of prescribed fees as persection 30 of the Wakf Act, 1995 certifying that the same is required under section 76 of the Indian Evidence Act.
7. To exercise powers and perform the functions of the Board to issue copies of the same on payments of the Wakf disputed cases and in the maintenance of the Register of Wakfs under section 30(1).
8. To cause registration of Wakfs and to amend the Register of Wakfs under section 36(1) of the Wakf Act, 1995.
9. (a) To examine and provisionally sanction the Budget of Mutwallis whose income does not exceed Rs. 5,000/: per annum in each case.

 (b) To pass orders on audit report under section 48 (1) of the Wakf Act, 1995 of the Accounts of Wakfs, whose income doesnot exceed Rs. 5,000/- per annum.

 (c) To take measures for recovery of lost properties of any Wakf.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

148

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के सचिव के पक्ष में होनी चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है।

उक्त परीक्षाओं के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन-पत्रों पर ही किया जाना चाहिये, जो कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 20 रुपये प्रति आवेदन-पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन-पत्र भुगतान इस प्रकार भेजा जाना चाहिये कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 26-2-1999 तक पहुंच जाये। आवेदन-पत्र अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के दिल्ली कार्यालय में 26-2-1999 के बाद 5-3-99 तक 50/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 5-3-99 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय, नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है, या रीजनल काउंसिलों के मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर तथा ब्रांच अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, पूना और जयपुर के कार्यालयों में 26-2-99 तक जमा कराया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय शुल्क इस प्रकार है :—

फाउन्डेशन परीक्षा शुल्क	रुपये 375/-
इन्टरमीडिएट परीक्षा	
दोनों ग्रुपों के लिये	रुपये 525/-
केवल एक ग्रुप के लिये	रुपये 300/-
यूनिट एक*	रुपये 300/-
यूनिट दो*	रुपये 300/-
यूनिट तीन*	रुपये 225/-
यूनिट चार*	रुपये 300/-

*इकाई यूनिट शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन्टरमीडिएट नियमावली की अनुसूची "बी" के अनुच्छेद "2ए" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठना है, और पास करना है।

फाइनल परीक्षा	
दोनों ग्रुपों के लिये	रुपये 600/-
केवल एक ग्रुप के लिये	रुपये 350/-
**इकाई यूनिट-2 पेपर तक	रुपये 275/-
**इकाई यूनिट -2 पेपर से अधिक तथा 4 पेपरों तक सीमित	रुपये 350/-
**इकाई यूनिट-5 पेपर व उससे अधिक	रुपये 600/-

**यूनिट शब्दावली का आशय पेपरों के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1964 के अन्तर्गत शेड्यूल "बी" और (बी० बी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1986 से पूर्व एक या एक से अधिक ग्रुप पास कर चुके हैं लेकिन सभी ग्रुप पास नहीं किये हैं को अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन, 1988 के शेडयूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" में शेष अनुरूप पेपरों में एक साथ बैठना है और पास करना है।

दुबई केन्द्र से बैठने वाले इन्टरमीडिएट और फाइनल के परीक्षार्थियों को क्रमशः अमेरिकन $60 और अमेरिकन $80 या इसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या एक इकाई (यूनिट) या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इण्टरमीडिएट और फाइनल के परीक्षार्थियों को रुपये 750/- या उससे सममूल्य की विदेशी मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप, एक यूनिट या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

फाउन्डेशन, इन्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न सूचना-पत्र में उपलब्ध है।

जगदम्बा प्रसाद,
अतिरिक्त सचिव (परीक्षा)

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये निर्धारित मानक और मानदण्ड

शिक्षा कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि (एम० एड)

आमने-सामने का माध्यम

परिशिष्ट-I

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी-2/10, सफदरजंग डवैलपमेंट एरिया
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998

सं० एफ० 28-2/98-99 एन० सी० टी० ई०.—धारा 32 की उपधारा 2 के खण्ड (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) की धारा 14 एवं 15 के साथ पढ़ा जाये, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं, यथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में

Attested
Sahayak Niyantrak (Prashasan)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स दिल्ली-54

IndiaCode

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये निर्धारित
मानक और मानदण्ड

शिक्षा कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि
(एम० एड)
आमने-सामने ...ा माध्यम

परिशिष्ट–I

राष्ट्रीय अध्याप : शिक्षा परिषद्
सी-2/10, सफदरजंग डवेलपमेंट एरिया
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998

सं० एफ० 28–2/98–99 एन० सी० टी० ई०.––धारा 32 की उपधारा 2 के खण्ड (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) की धारा 14 एवं 15 के साथ पढ़ा जाये, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं, यथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :––

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में

27/4/11
क (प्रशासन)
काशन विभाग
दिल्ली–54

IndiaCode

स्नातकोत्तर (एम० एड०) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम० एड० डिग्री) की मान्यता के लिये मानक एवं शर्तें) विनियम, 1996 है।

2. किस पर लागू रहेंगे

ये विनियम पैरा 1 में उल्लिखित कोई भी पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों, मुक्त/खुले विश्वविद्यालयों, उनके संघटकों सहित संस्थानों और उन अन्य सभी निकायों/संस्थाओं पर, उनके नाम तथा कार्यशैली जो भी हो, लागू रहेंगे।

3. परिभाषा

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो इन विनियमों में

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73)।

(2) "अध्यापक शिक्षा में नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण" का अर्थ है अध्यापक शिक्षा के लिये कोई ऐसा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण, मान्यता प्रदान करने के समय संस्थान द्वारा जिसकी व्यवस्था नहीं थी किन्तु मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा जिनके लिये व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(3) "क्षेत्रीय समिति" का अर्थ है धारा 20 के अंतर्गत स्थापित समिति।

(4) अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 में निहित है।

4. मान्यता के लिये आवेदन-पत्र

(क) प्रत्येक संस्थान को, जिसने शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम० एड०) कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की है जिसका यह व्यवस्था करने का विचार है, उक्त अधिनियम के अधीन मान्यता के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समिति से प्राप्त फार्म में अपना आवेदन-पत्र देना होगा।

(ख) आवेदन-पत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा सम्बन्धित संस्थान जिसके भू-भागीय अधिकार-क्षेत्र में स्थित है।

5. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र

(क) यदि कहीं कोई मान्यताप्राप्त संस्थान शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम० एड०) के लिये कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समिति से प्राप्त फार्म में अपना नया आवेदन-पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा।

(ख) यदि कहीं कोई मान्यताप्राप्त संस्थान ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिये, उसमें प्रवेश के लिये स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहता है तो उस मान्यताप्राप्त संस्थान को अपना आवेदन-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा।

(ग) आवेदन-पत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा जिसके भू-भागीय अधिकार-क्षेत्र में वह संस्थान स्थित है।

6. आवेदन-पत्र भेजने की विधि

(क) मान्यता के लिये आवेदन-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा।

(ख) मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या प्रवेश के लिये विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये अनुमति प्राप्त करने का आवेदन-पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा।

(ग) संस्थान की मान्यता के लिये आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में भेजना होगा।

(घ) उस संस्थान की मान्यता के लिये जिसमें अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले उपलब्ध थी, आवेदन-पत्र सीधे सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजा जायेगा।

(ङ) ऐसे प्रत्येक संस्थान को जो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है किन्तु जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले कार्यरत नहीं था, मान्यता के लिये अपना आवेदन-पत्र सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" के साथ भेजना होगा, जिसमें वह संस्थान स्थित है।

(च) मान्यताप्राप्त संस्थानों को उपर्युक्त विनियम 5 के उप-विनियम (ख) के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति के लिये अपना आवेदन-पत्र उस सरकार या संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" के साथ भेजना होगा, जिसमें वे संस्थान स्थित है।

7. शुल्क

मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संस्थान की मान्यता अथवा नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने अथवा प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिये भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ परिषद् द्वारा समय-समय पर उस आवेदन-पत्र के लिये निर्दिष्ट शुल्क भेजना होगा और यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजना होगा, जिसे "क्षेत्रीय समिति, अध्यापक शिक्षा

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिषद्" के पक्ष में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के स्थान पर अदायगी के लिये बनवाया जायेगा ।

8. आवेदनपत्र भेजने की समय सीमा

(क) प्रत्येक संस्थान को, जो अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहता है, अपना आवेदन-पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा जो वहां आगामी शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम चार महीने पहले पहुंच जाना चाहिए ।

(ख) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिये नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन-पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजा जाना चाहिए जो उनके यहां आगामी शिक्षा-सत्र प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम चार माह पहले पहुंच जाना चाहिए ।

9. मान्यता की शर्तें

(क) मान्यता के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच-परख एवं सत्यापन के आधार पर, और अथवा जहां भी आवश्यक समझा जाये संस्थान का निरीक्षण करके अथवा जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं को इस बात की संतुष्टि करनी होगी कि संस्थान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, योग्यताप्राप्त कर्मचारी वर्ग, प्रयोगशाला तथा ऐसे अन्य सभी प्रबन्ध हैं जो शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिये जिसे वह चला रहा है या जिसे वह प्रारम्भ करना चाहता है, संस्थान के उचित रूप से कार्य करते रहने के लिये आवश्यक है ।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि मान्यताप्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले प्रत्येक संस्थान द्वारा परिशिष्ट (I) तथा (II) में निहित मानकों और मानदण्डों की पूर्ति की गई है ।

10. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मान्यताप्राप्त संस्थानों को अनुमति प्रदान करने की शर्तें :

(क) शिक्षा में स्नातकोतर उपाधि कार्यक्रम के अन्तर्गत नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान के आवेदन-पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच-परख और सत्यापन के आधार पर और/अथवा जहां भी आवश्यक समझा जाए, मान्यताप्राप्त संस्थान का निरीक्षण करने अथवा जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि संस्थान के पास पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को चलाने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय योग्यताप्राप्त कर्मचारी वर्ग, प्रयोगशाला तथा अन्य सभी प्रबन्ध मौजूद हैं ।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा परिशिष्ट (I) तथा (II) में दिये गये मानक और मानदंडों को पूरा कर लिया गया है ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य-सचिव

शिक्षा कार्यक्रम में स्नातकोतर उपाधि (एम० एड०)

25 विद्यार्थियों तक वाली इकाई के लिए मानक और मानदंड

1. प्रस्तावना

शिक्षा कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि (एम० एड०) शिक्षा-विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक दृष्टि से अध्ययन करने एवं विभिन्न सहवर्ती विषयों में सक्षम बनाने का कार्यक्रम है । कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के सम्बन्ध में अपने ज्ञान और उसकी समझ का विस्तार करने, साथ ही उसमें गहनता हासिल करने, अध्यापक शिक्षा सहित चुने हुए विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त करने, साथ ही तत्सम्बन्धी शोध के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यक्रम की वास्तविक रूप-रेखा क्या है और उसके घोषित लक्ष्य क्या हैं ।

इस समय एम० एड० पाठ्यक्रम की शिक्षा विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है : पूर्णकालिक, एक वर्ष का नियमित कार्यक्रम, दो वर्ष की अवधि का दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार कार्यक्रम आदि । कुछ संस्थान स्नातकोत्तर विभाग अथवा शिक्षा महाविद्यालय एम० एड० तथा/अथवा एम० ए० (शिक्षा) जैसे अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम० फिल०, पी० एच० डी०) चलाते हैं जबकि कुछ अन्य केवल बी० एड० कार्यक्रम भी चलाते हैं । यहां निर्धारित मानक और मानदंड विशेष रूप से एक वर्ष की अवधि के नियमित एम० एड० पाठ्यक्रम से सम्बन्धित हैं और दोनों ही प्रकार की स्थितियों पर लागू होते हैं । दूसरी स्थिति में जहां तक संसाधनों का प्रश्न है, संसाधनों का उपयोग कार्यक्रमों द्वारा स्वयं मिलकर कर लिया जाता है । अतः यह आवश्यक है कि बी० एड० और एम० एड० इन दोनों के लिए जो भी मानक निर्धारित हैं उनकी पूर्ति अलग-अलग होनी चाहिए, विशेष रूप से कुछ आधारभूत अपेक्षाओं की जैसे कि प्रधान/प्राचार्य को छोड़कर जो कि एक ही व्यक्ति

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
152

होगा–अध्यापकों व कक्षाओं के लिए कमरों की संख्या से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य ही होनी चाहिए। हाल, संगोष्ठी कक्ष (सेमिनार कक्षा), प्रयोगशालाओं, विश्राम या बैठक कक्षों, प्रसाधनों, छात्रावास आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था मिलकर की जा सकती है (यदि संस्थान किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का ही एक भाग है तो बी० एड० साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों के साथ मिलकर की जा सकती है)।

एम० एड० पाठ्यक्रम में शिक्षा विषय में विशेष पाठ्यक्रम तथा तत्सम्बन्धी व्यावहारिक क्षेत्र स्तर पर होने वाले कार्य सहित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम सम्मिलित रहेंगे। इनके अतिरिक्त शोध प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत शोधकार्य इस कार्यक्रम का अनिवार्य अभिन्न अंग होगा।

इन मानकों और मानदंडों के आधार पर संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाएगी और ये पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति देने तथा ये उनमें प्रवेश के लिए निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था के लिए अनुमति देने के लिए लागू रहेंगे। मानकों का उल्लेख दो शीर्षों यथा अनिवार्य तथा अपेक्षित के अन्तर्गत किया गया है। अनिवार्य का सम्बन्ध उन न्यूनतम अपेक्षाओं से है, मान्यता/अनुमति प्राप्त करने के लिए जिनकी पूर्ति होना अनिवार्य है जबकि अपेक्षित का अर्थ उन निर्देशों से है, उचित अवधि में जिनका लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। मानकों के अन्तर्गत जो अपेक्षाएं सम्मिलित हैं वे इस प्रकार हैं :– मानव संसाधन, ढांचागत आधारभूत साज सामान, शैक्षिक अवदान तथा वित्तीय प्रावधान।

इस दस्तावेज में ढांचागत आधारभूत साज सामान शीर्षक के अन्तर्गत भूखंड, भवन, स्थान, कक्षा के कमरे, पुस्तकालय आदि के लिए जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यही है कि वे लगभग उतनी ही होनी चाहिए और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य हों जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य किसी कठिनाई के सुचारु रूप में सुविधाजनक सम्पन्न हो सके।

2 मानव संसाधन

2.1 अध्यापक वर्ग

जिनमें प्रवेश के लिए 25 विद्यार्थियों तक की व्यवस्था हो

संकाय	आवश्यकता		योग्यताएं
	अनिवार्य	अपेक्षित	
1. प्रधान प्राचार्य	1 प्रोफेसर के पद का	1	वि० वि० अ० आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जिसके पास शिक्षा के विषय में पी० एच० डी० की योग्यता हो।
2. रीडर	2	2	वि०वि०अ० आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार साथ ही जिनके पास शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर की योग्यता हो तथा जिनके पास शिक्षा/किसी सम्बन्धित विषय में पी० एच० डी० की योग्यता हो।
3. लेक्चरर	2	3	वि० वि० अ० आयोग के मानकों के अनुसार
कुल	5	6	

टिप्पणी : निर्धारित संख्या से अतिरिक्त 10 या उससे कम विद्यार्थियों के होने पर एक अतिरिक्त। प्रवेश लिये अधिकतम स्वीकृत संख्या 50।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

22. सहायक तकनीकी कर्मचारी

	पदनाम	कर्मचारियों की संख्या		क्षेत्र	योग्यताएं
		अनिवार्य	अपेक्षित		
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	--	पुस्तकालय विज्ञान	वि2 वि० अ० आयोग द्वारा निर्धारित मानकों तथा योग्यताओं के अनुसार
2.	तकनीकी सहायक	1	2	मनोविज्ञान प्रयोगशाला तथा संचार माध्यम	विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार

2.3 प्रशासकीय कर्मचारी

	पदनाम	संख्या	योग्यताएं
1.	लिपिक, टाइपिस्ट	1+1	विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार
2.	सहायक कर्मी (हेल्पर)	2	विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार

3. ढांचागत आधारभूत साजसामान

संस्थान ऐसे वातावरण में स्थित हो जो शोरगुल और प्रदूषण से मुक्त हो। वहां परिवहन और संचार साधनों की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिएं और उसमें पानी व बिजली उपलब्ध रहे। जिस भूखंड का चयन किया जाए वह इतना अवश्य रहे कि उसमें संस्थान के भवन, भविष्य में उसके विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान हो और वहां खेल कूद आयोजित करने के लिए काफी खुली जगह उपलब्ध रहनी चाहिए।

3.1 निर्मित स्थान

25 विद्यार्थी वाली इकाई के लिए कम से कम निम्नलिखित निर्मित स्थान निर्धारित है :—

		अनिवार्य	अपेक्षित	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1.	कक्षाओं के कमरे	2 (यह कुल समूहों/ विशेषताओं की संख्या पर निर्भर करेगी)	4	60 वर्ग मीटर
2.	हाल	1	--	125 वर्ग मीटर
3.	संगोष्ठी कक्ष (सेमिनार)	1	--	100 वर्ग मीटर
4.	विशेष कक्ष			
	(क) पुस्तकालय एवं वाचनालय	1	--	100 वर्ग मीटर
	(ख) प्रयोगशालाएं			
	(1) मनोविज्ञान प्रयोगशाला	1	--	50 वर्ग मीटर
	(2) शिक्षा प्रौद्योगिकी संचार साधन प्रयोगशाला	1	--	50 वर्ग मीटर

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

1	2	3	4	5
5.	कक्ष			
	(क) प्रधान के लिए	1	—	25 वर्ग मीटर
	(ख) संकाय के लिए	2 (कक्ष जिनमें दो के बैठने के लिए स्थान रहे)	4 (प्रत्येक अध्यापक के लिए एक)	20 वर्ग मीटर
	(ग) कार्यालय एवं भंडार-कक्ष	1	1	40 वर्ग मीटर
	(घ) जलपान गृह (कैन्टीन)	—	1	प्रत्येक का आकार लगभग 25 वर्ग मीटर
6	लडके, लड़कियों तथा अध्यापक/ कर्मचारी वर्ग के लिए अलग-अलग प्रसाधन-कक्ष (शौचालय)	3	5	
7.	कम से कम दो जगह पर पीने के पानी की सुविधा का प्रबन्ध हो जहां कार्यसमय के दौरान सभी समय पानी उपलब्ध रहे			

3.2 खेल का मैदान

अनिवार्य अपेक्षित : भवन के अन्दर खेले जाने वाले (इन्डोर) खेलों के लिए सुविधाएं । बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेलों के लिए पर्याप्त तथा तरह-तरह के मैदानों की सुविधाए ।

3.3 छात्रावास

अपेक्षा यह है कि पुरुष और महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उस स्थिति में जब कि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, उपयुक्त शालीन और ऐसे छात्रावास होने चाहिए जिनके रख-रखाव की सुन्दर व्यवस्था हो और जिनको कुशलतापूर्वक चलाया जाए।

3.4 फर्नीचर

	संख्या	अपेक्षित	क्षेत्रफल
(1) विद्यार्थियों की मेज-कुर्सियां	प्रत्येक के लिए एक-एक	कुछ अतिरिक्त	
(2) हाल	फर्नीचर से उचित रुप में सुसज्जित		125 वर्ग मीटर
(3) अध्यापकों के लिए मेज-कुर्सियां	आवश्यकतानुसार (प्रत्येक के लिए एक)	कुछ अतिरिक्त	
(4) प्रयोगशाला में प्रयोग कार्य के लिए मेजें	2 बड़े आकारवाली		(1.25—0.9)
(5) पुस्तकालय/पुस्तकों के लिए आलमारियां (बुक-शेल्ब्स)	आवश्यकतानुसार		
(6) वाचनालय में 30 विद्यार्थियों के लिए कुर्सियों के साथ पढ़ने की मेजें	30 कुर्सियां	40	

3.5 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

3.5.1 पुस्तकें एवं पत्रपत्रिकाएं

	अनिवार्य	अपेक्षित
(1) पुस्तकें, जिनमें पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ तथा शोध साहित्य सम्मिलित हैं	2000	5000
(2) पत्र-पत्रिकाएं—व्यावसायिक एवं शोध आधारित पत्र-पत्रिकाओं सहित	5	10

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

IndiaCode

संख्या में प्रति वर्ष कम से कम 200 पुस्तकों की वृद्धि होती रहे। इनमें अतिरिक्त पुस्तकें तथा पाठ्य पुस्तकें, एवं संदर्भ ग्रंथ, जिनकी अनेक प्रतियां रहें, सम्मिलित हैं।

3.5.2 शिक्षा प्रौद्योगिकी संचार साधन प्रयोगशाला

अनिवार्य

ओ० एच० पी० फिल्म स्ट्रिप/स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन तथा वी० सी० आर०, मुद्रण व्यवस्था के उपकरण व सामग्री सहित कम्प्यूटर तथा श्रव्य-दृश्य कैसेटों की लाइब्रेरी एवं आडियो रिकार्डर/प्लेयर

अपेक्षित

इंटरनेट की सुविधाएं, स्टिल, कैमरा–1, वीडियो कैमरा–1

3.5.3

शिक्षा मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रयोगों के लिए उपकरण। पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार बुद्धि-परीक्षण (निष्पादन, मौखिक, अमौखिक) प्रवृत्ति-परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट), सृजन-शीलता परीक्षण (क्रिएटिविटी टैस्ट), व्यक्तित्व का स्वरूप, मनोवृत्ति परीक्षण (एटीट्यूड टैस्ट) तथा रूचियों-अभिरुचियों की विवरणिका।

4. शैक्षणिक अवदान

4.1 प्रवेश

4.1.1 पात्रता

वे उम्मीदवार जिन्होंने किसी मान्तयाप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि/स्नातकोतर उपाधि में कुल मिलाकर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, साथ ही बी० एड० में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

संवैधानिक /कानूनी प्रावधानों के अनुसार सीटों में आरक्षणी की व्यवस्था रहेगी।

4.2 चयन क्रियाविधि

प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण द्वारा—स्वयं संस्थान विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर पर ली गई योग्यता-निर्धारण परीक्षा और/अथवा चयन परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।

4.3 पाठ्यक्रम निष्पादन

	अनिवार्य	अपेक्षित
1. (क) प्रति वर्ष/सत्र में कार्य दिवसों की संख्या	200 दिन 1200 घंटे	210 दिन 1260 घंटे
(ख) प्रवेश	5 दिन	
(ग) क्षेत्र में कार्य सहित अध्यापन-दिवस		190 दिन
(घ) परीक्षा दिवस		5 दिन
(ङ) छः दिवसीय सप्ताह में एक कार्य दिवस का समय कम से कम छः घंटे का रहेगा। पांच-दिवस के सप्ताह में घंटों में समय अनुपात के अनुसार रहेगा		(7.2 घंटे)
2. शोध प्रबन्ध/शोध निर्देशन		प्रति अध्यापक विद्यार्थियों की संख्या पांच से अधिक नहीं रहेगी।
3. पाठ्यक्रम निष्पादन के माध्यम		भाषण (लेक्चर) परिचर्या, प्रबन्ध-लेखन, संगोष्ठियां, साहित्य-समीक्षा।
4. मूल्यांकन		निरन्तर, यथासंभव आंतरिक

प्रवेश सम्बन्धी सभी कार्य सत्र प्रारम्भ होने के पहले अवश्य शुरू हो जाना चाहिए और संस्थान के अवकाश के बाद पुनः खुलने के 5 कार्य दिवसों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।

5. वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान एवं आरक्षित निधि

एम० एड० कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के पास आवर्ती एवं अनावर्ती खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहनी चाहिए।

जिन संस्थानों की व्यवस्था का दायित्व सरकार/स्थानीय स्वायन्त सरकार/विश्वविद्यालय पर है, जहां तक संभव हो, उन्हें चाहिए कि वे संस्थानों के खर्च का भार वहन करने के लिए उनसे पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने का वायदा करा लें।

निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत संचालित संस्थानों के पास 5 लाख रुपये की वृत्तिदान राशि या फिर विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के मानकों के अनुसार अपेक्षित धनराशि रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके पास आरक्षित निधि में इतनी राशि अवश्य रहनी चाहिए जिससे वे अपने सस्त कर्मचारी वर्ग को तीन माह के वेतन की अग्रायगी कर सकें।

5.2 वित्तीय प्रबन्ध

संस्थान के वार्षिक बजट में पर्याप्त प्रावधान रहना चाहिए। संस्थान की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके किसी अधीनस्थ बैंक में जमा रहनी चाहिए।

5.3 वेतनमान का ढांचा

संस्थान को अपने अध्यापक वर्ग एवं अध्यापक वर्ग से इतर कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार, विश्वविद्यालय/केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों को अपना लेना चाहिए।

5.4 शिक्षा सामग्री का मूल्य

मनोविज्ञान तथा शिक्षा
शैक्षिक प्रौद्योगिकी संचार साधन
खेलकूद तथा खेल क्रीड़ाएं (स्पोर्ट्स)
पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं
आकस्मिक खर्च

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

156

अनिवार्य	प्रति विद्यार्थी	1000— रुपये
अपेक्षित	प्रति विद्यार्थी	1500— रुपये
उपकरण एवं पुस्तकें		
अनिवार्य		1.00 लाख
अपेक्षित		2.00 लाख

5.5 शुल्क दर :

5.5.1 प्रवेश-परीक्षा शुल्क

यदि प्रवेश परीक्षा के लिए कोई शुल्क लिया जाता है तो वह उस परीक्षा का आयोजन करने पर होने वाले अनुमानित खर्च के अनुरूप होना चाहिए। यदि उस शुल्क से कोई राशि शेष बची रह जाये तो अनिवार्य रूप से उसका उपयोग अध्यापक शिक्षा संस्थानों में शैक्षिणिक गतिविधियों के संवर्धन तथा/ अथवा विद्यार्थियों के कल्याण कार्यों के लिए होना चाहिए ।

5.5.2 ट्यूशन तथा अन्य शुल्क ।

संस्थान द्वारा अपनाई जाने वाली शुल्क की दरों का ढांचा समय-समय पर विश्वविद्यालय/डीम्ड/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। तथापि किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क की राशि पाठ्यक्रम पर संस्थान द्वारा किये गये कुल आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए। वांछनीय तो यह होगा की गरीब वर्ग के कुछ योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था रहे ।

6. एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम :

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन / परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, उपकरण, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथावश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं ।

परिशिष्ट—II

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए निर्धारित मानक और मानदण्ड

(पत्राचार माध्यम सहित एम०एड० दूरस्थ शिक्षा माध्यम)

1. प्रस्तावना :

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माना है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हर समय देश में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों तथा अध्यापक-शिक्षकों की [illegible] का एक बड़ा ही उपयोगी एवं आर्थिक [illegible] सुविधाओं से उपयुक्त माध्यम है। इस दस्तावेज के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों शोधकर्ताओं / प्रशासकों के लिए पत्राचार माध्यम सहित दूरस्थ माध्यम से एम० एड० की उपाधि के लिए मानक और मानदण्ड प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ये मानक उन सभी संस्थानों पर लागू होते हैं जिन्हें एम० एड० कार्यक्रम में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है चाहे वह एक अकेले शिक्षा कार्यक्रम के रूप में प्रदान की जाती हो या किसी अन्य दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ ही चलाये जाने वाले कार्यक्रम के रूप में की जाती हो। जहां तक अन्य कार्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण का प्रश्न है, भवन सम्बन्धी तथा अन्य भौतिक सुविधाएं अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर उपयोग में लाई जा सकती है, बशर्ते कि इससे पाठ्यक्रम की गुणवता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए। इन मानकों एवं मानदण्डों में उन शर्तों का विवरण देकर स्पष्ट किया गया है एम० एड० कार्यक्रम के लिए मान्यता, अनुमति तथा निर्धारित संख्या से अधिक को प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के लिए जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है।

एम० एड० कार्यक्रम में शिक्षा विषय में विशिष्ट पाठ्यक्रमों तथा तत्सम्बन्धी व्यावहारिक / क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले कार्य सहित सैद्धान्तिक पाठयक्रम शामिल रहेगा। हनके अतिरिक्त शोध-प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत शोधकार्य इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग रहेगा ।

मानकों की व्यवस्था दो वर्गों / स्तरों के अंतर्गत की गई है यथा (I) अनिवार्य मानक की न्यूनतम अपेक्षाएं हैं, मान्यता / अनुमति तथा निर्धारित संख्या से अधिक अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए पात्र होने की दृष्टि से सभी संस्थानों द्वारा जिनकी पूर्ति होनी अनिवार्य है और (1) अपेक्षित मानकों का अर्थ उन निर्देशों से है। कम से कम उचित अवधि में जिनका लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत् प्रयत्न करते रहना आवश्यक है ।

इस दस्तावेज में ढांचागत आधारभूत साज-सामान शीर्षक के अंतर्गत भूखंड भवन, स्थान, कक्ष, पुस्तकालय आदि के लिए जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यही है कि वे लगभग उतनी ही होनी चाहिए और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन से यह सुनिश्चित करना है कि कमरे, हाल आदि उतने आकार के अवश्य हों जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य बिना किसी कठिनाई के सुचारू रूप से सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके ।

1.1 पत्राचार माध्यम सहित दूरस्थ माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि (एम० एड०) के लिये दिशानिर्देश :

*पाठ्यक्रम शीर्षक : दूरस्थ शिक्षा माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि (एम० एड०) ।

*अधिकार-क्षेत्र : प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं प्रत्याशियों को प्रवेश देगा जो इस समय उन विद्यालयों में काम कर रहे हैं जो अधिनियम अथवा राज्य /संघ सरकार द्वारा उसके लिये निर्धारित भौगोलिक अधिकार-क्षेत्र में स्थित है ।

*प्रवेश के लिए योग्यताएं : प्रवेश केवल उन्हीं प्रत्याशियों को दिया जाएगा जिन्होंने स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, साथ ही बी० एड० अथवा समकक्ष परीक्षा में जिनके कम से कम

Attested
Sd/- 23/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

157

50 प्रतिशत अंक रहें हों, और जिनके पास विश्वविद्यालय / संस्थान के अधिकार क्षेत्र में रहकर पूर्णकालिक नियमित अध्यापक–प्रशिक्षक /शोधकर्ता / नीति–निर्धारण अध्यापक / शिक्षा प्रशासक के पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो। प्रवेश के लिये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की अवधि, बी० एड० अथवा समकक्ष परीक्षा म प्राप्त योग्यता–निर्धारण अंकों तथा अध्ययन केन्द्रों पर सुगमता से पहुंचने की सुविधा पर विचार किया जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्याशियों को वरीयता दी जायेगी।

*सीटों की संख्या : सीटों की अधिकतम संख्या कितनी रहे, इस का निर्णय हर बार विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के बीच परामर्श से किया जायेगा। निर्णय करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा जायेगा :

1. अधिकार क्षेत्र ।
2. मानव संसाधन विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं ।
3. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र (केन्द्रों) की क्षमता सहित आयोजन करने की क्षमता ।

*अध्ययन केन्द्र : प्रति अध्ययन केन्द्र (केन्द्रों) अधिकतम 25 विद्यार्थी। अध्ययन केन्द्र को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :

* अध्ययन केन्द्र में विद्यार्थीयों की अधिकतम संख्या प्रति बैच 25 से अधिक नहीं रहेगी ।
* कार्यक्रम को सम्पादित करने में सहायता देने के लिये केन्द्र के पास पारम्परिक अध्यापक शिक्षा–प्रणाली की क्षमता उपलब्ध रहनी चाहिए ।
* केवल उन्हीं अध्यापक शिक्षा संस्थानों को जो बी० एड० एम० एड कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है, अध्ययन केन्द्रों का नाम / मान्यता दिया / दी जा सकेगी / सकेगा ।
* पाठ्यक्रम की अवधि : प्रवेश की औपचारिकताओं में व्यय होने वाले समय को छोड़ कर 24 माह का कार्यक्रम को पूरा करने में अधिकतम चार वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए ।
* शुल्क : विश्वविद्यालय तथा संबंधित सरकार द्वारा अधिकतम उस सीमा तक लिया जाएगा जिससे कार्यक्रम को संचालित करने का खच पूरा हो सके ।

कार्यक्रम संघटक –

* दूरस्थ शिक्षा फार्मेट में स्वयं पढ़कर सीखने की पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री नमूने के बतौर सासग्री का मूल्यांकन–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।
* वांछनीय तो यह होगा कि टेली–कांफ्रेंसिंग जैसी पर्याप्त श्रव्य–दृश्य सामग्री आडियो–वीडियो पैकेजेज की व्यवस्था रहे ।
* नियमित एसाइनमेंट्स, जिनका निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा–पूरा मूल्यांकन आवश्यक। प्रत्येक प्रश्नपत्र /पाठ्यक्रम में निर्धारित दो एसाइनमेंट्स रहेंगे ।
* कम से कम 360 घण्टे का अनिवार्य संपर्क कार्यक्रम जिसमें 12 सप्ताह तक प्रतिदिन अधिक से अधिक 6 घंटे तक शोध–प्रबंध के लिए मार्ग–दर्शन का कायक्रम सम्मिलित रहेगा। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/शिक्षा महाविद्यालयों के योग्यता–प्राप्त अध्यापक–प्रशिक्षकों द्वारा चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान समूह कार्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिक्रियाओं अनुभवजन्य ज्ञान और छोटे–छोटे समूहों में क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त अनुभवों पर जोर दिया जाएगा ।
* मूल्यांकन पूरी तरह व्यापक होगा और निरंतर चलेगा जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत आंतरिक और 75 प्रतिशत बाहर के स्तर से होगा ।
* कर्मचारी वर्ग–मुख्यालय / नोडल केन्द्र पर 250 विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर कम से कम 5 अध्यापक। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर 25 विद्यार्थियों के लिए एक समन्वयक सहित 5-अतिरिक्त अध्यापक रहेंगे ।
* संपर्क कार्यक्रमों के लिए निश्चित अवधि को छोड़कर परीक्षाएं उनके लिए विनिर्दिष्ट दिनों में ही ली जाएंगी। संपर्क कार्यक्रमों में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

2. मानव संसाधन :

2.1 कर्मचारी वर्ग :

क) मुख्यालय / नोडल केन्द्रों के लिए कर्मचारी

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एम. एड कार्यक्रम को चलाने में अनेक प्रकार की गतिविधियों जैसे कि पाठ्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करना, परामर्श, शोध–प्रबन्धन लेखन में मार्ग दर्शन, पाठ्यक्रम विकास, विद्यार्थियों के दत्तकार्य (एसाइनमेन्ट्स) की जांच, स्वयं पढ़कर सीखने की सामग्री, में स्वयं पर निगरानी, सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययन केन्द्रों पर कर्मचारी वर्ग में रूचि जागृत करना आदि जसे कार्य सम्मिलित हैं। मुख्यालय / नोडल केन्द्रों पर कार्यरत संकाय–सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में सम्बन्धित विषयों का कार्य उपयुक्त रूप में कार्यान्वित हो। निश्चय ही यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और नोडल केन्द्रों दोनों ही स्थानों पर इस कार्य के लिए अपेक्षित सुविधाएं तथा विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध रहे। विश्वविद्यालय / नोडल केन्द्र मात्र एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही कार्य नहीं करेंगे बल्कि साथ ही उन्हें एक सक्रिय संसाधन केन्द्र के रूप में भी अपना योगदान देना होगा। अतः मुख्यालयों/नोडल केन्द्रों पर पूर्णकालिक उच्च योग्यता–प्राप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त अंशकालिक संकाय–सदस्यों की व्यवस्था भी होनी चाहिए ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

158

250 तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की स्थिति में कार्यक्रम सम्पादन, पाठ्यक्रम के रखरखाव व संशोधन कार्य के लिए मुख्यालयों/नोडल केन्द्रों पर संकाय-सदस्यों की संख्या कम से कम 5 रहेगी, जिनमें एक प्रोफेसर, दो रीडर तथा दो प्राध्यापक (लेक्चरर) होंगे । संख्या में प्रत्येक 100 अतिरिक्त विद्यार्थियों अथवा उसके किसी अंश से वृद्धि होने पर एक अतिरिक्त संकाय-सदस्य होगा ।

(ख) अध्ययन केन्द्र के लिये कर्मचारी

पच्चीस विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की स्थिति में अध्ययन केन्द्र पर कम से कम एक अध्यापक-प्रशिक्षक रहेगा जो एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा, साथ ही अंशकालिक आधार पर कम से कम चार अध्यापक प्रशिक्षक भी होंगे । शोध-प्रबन्ध लेखन में मार्गदर्शन, कार्यशालाओं और सम्पर्क कार्यक्रमों के लिए, आवश्यकतानुसार, अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त अंशकालिक संकाय-सदस्यों की सेवाएं पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर ली जाएंगी ।

2.2 अध्यापक वर्ग

पदनाम	आवश्यक संख्या		विशेषज्ञता	योग्यता और अनुभव
	अनिवार्य	अपेक्षित		
प्रधान/निदेशक (प्रोफेसर की श्रेणी में)	एक	—	शिक्षा	वि० वि० अ० आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार : शिक्षा विषय में पी० एच० डी० के साथ प्रथम/द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा शिक्षा संस्थानों/प्रबन्धन/पाठ्यचर्या विकास का अध्यापन और/या शोध या प्रशासन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव
शिक्षा विषय में रीडर	दो	—	शिक्षा	वि० वि० अ० आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार : शिक्षा विषय में पी० एच० डी० के साथ शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा अध्यापन/शोध कार्य में पांच वर्ष का अनुभव तथा/या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अतिरिक्त योग्यता
शिक्षा विषय में प्राध्यापक (लेक्चरर)	दो	—	शिक्षा	वि० वि० अ० आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार : शिक्षा विषय में पी० एच० डी० के साथ शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री

टिप्पणी : कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि यथासंभव उतने ही मूल (फाउण्डेशन) विषयों में भी नियुक्तियां हों जितनी प्रमुख (इलेक्टिव) विषयों के लिए की जाएं ।

2.3 सहायक तकनीकी कर्मचारी

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित	योग्यता
सहायक लायब्रेरियन	1	2	पुस्तकालय-विज्ञान में डिप्लोमा
तकनीकी सहायक	1	2	आई० टी० आई० प्रमाणपत्र/डिप्लोमा उच्च माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण-पत्र तथा श्रव्य-दृश्य साधनों में प्रशिक्षण बी० एस० सी०
कम्प्यूटर प्रचालक	1	2	3 कम्प्यूटर शिक्षा विषय में डिप्लोमा

Attested
Gm 25/4/11
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

159

2.4 प्रशासकीय कर्मचारी तथा सहायक कर्मी (हेल्पर)

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित	योग्यता
कार्यालय सहायक एवं टाइपिस्ट	1	उच्च श्रेणी क्लर्क 1	विश्वविद्यालय/केन्द्रीय/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार
लेखा सहायक एवं क्लर्क	1	निम्नश्रेणी क्लर्क— लेखाकार–1 टाइपिस्ट–1	—वही—
सहायक कर्मी (हेल्पर)	3	5	—वही—
ए० आर०/कार्यालय अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी	1	—	—वही—

टिप्पणी : यदि कोई दूसरा अध्यापक—शिक्षा कार्यक्रम पहले से ही चल रहा हो तो उस स्थिति में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करके कार्य के भार के अनुपात में प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग की सेवाओं का मिलकर लाभ उठाया जा सकता है।

2.5 कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

मुख्य श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्णकालिक नियमित वर्ग में नियुक्त किया जायेगा। प्रारम्भ में सहायक वर्ग के शैक्षिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ अस्थायी/तदर्थ/अंशकालिक आधार पर की जा सकती हैं। नियुक्तियों के लिए सभी प्रत्याशियों का चयन विश्वविद्यालय/वि० वि० अ० आयोग/सरकार के नियमों के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा ही किया जायेगा।

अध्यापक वर्ग का वेतनमान सरकार/वि० वि० अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार ही होना चाहिए।

3. ढांचागत आधारभूत साजसामान

स्थान और भवन

3.1 मुख्यालय/नोडल केन्द्र

नोडल केन्द्र के रूप में विश्वविद्यालय संस्थान ही काम करेंगे। पाठ्यक्रम चलाने का दायित्व उन्हीं को लेना होगा। नोडल केन्द्र (क) पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, योजना बनाने तथा उसका विकास करने, (ख) श्रव्य-दृश्य यंत्र-संयंत्रों की योजना बनाने और अपेक्षित सामग्री का उत्पादन करने, (ग) व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, (घ) अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्र में प्रायोगिक-शिक्षण अभ्यास केन्द्रों (फील्ड प्रैक्टिकल सेन्टर्स), के लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध करने तथा (ङ) सभी कार्यक्रम संघटकों के लिये धन, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन की व्यवस्था करने का कार्य करेगा।

3.1.1 भूखण्ड और स्थान

विभिन्न प्रकार के शैक्षिक तथा प्रशासकीय कार्यों के लिये पर्याप्त भूखण्ड लगभग 1000 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर तक की व्यवस्था करनी होगी। पर्याप्त भूखण्ड का उपलब्ध होना क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं, कर्मचारियों की संख्या आदि पर निर्भर करेगा।

अच्छा तो यह रहेगा कि संस्थान ऐसे स्थान पर हो जहां का पर्यावरण शोरगुल से दूर एवं प्रदूषण से मुक्त हो। वहां परिवहन तथा संचार साधनों की अच्छी सुविधायें होनी चाहिये। पीने का पर्याप्त पानी और नियमित बिजली मिलती रहनी चाहिए। कर्मचारियों, पुरुष तथा महिलाओं दोनों के लिये प्रसाधन (शौचालय) की सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिये।

3.1.2 भवन में स्थान

कक्ष		फर्नीचर	तल क्षेत्रफल
1	2	3	4
1.	प्रधान का कक्ष (1)	कुर्सियां–6, मेज–1; अलमारी–1	20 वर्ग मीटर
2.	संकाय कक्ष (2)	कुर्सी और मेजें—दोनों एक-एक, कुछ अतिरिक्त कुर्सियां/सीटें; अलमारी—एक-एक	8×20 वर्ग मीटर
3.	सामग्री उत्पादन केन्द्र*	फाइलिंग कैबिनट, अलमारियां आवश्यकतानुसार	80 वर्ग मीटर
4.	भंडार कक्ष (सामान्य)	—	25 वर्ग मीटर

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

160

1	2	3	4
5.	उत्पादित सामग्री के भंडारण के लिए भंडार कक्ष (1)	फाईलिंग केबिनट, अलमारियां आवश्यकतानुसार	50 वर्ग मीटर
6.	कार्यालय कक्ष (1)	फाईलिंग कैबिनट, अलमारियां, मेजें, कुर्सियां, आवश्यकतानुसार	2× 40 वर्ग मीटर
7.	पुस्तकालय* (1)	30 व्यक्तियों के लिए मेज, कुर्सियां, कैटलाग कैबिनेट, बुक शैल्व्ज—आवश्यकतानुसार	80 वर्ग मीटर
8.	कम्प्यूटर कक्ष (1)	कम्प्यूटर मेज–1, कुर्सी–1, कंसोल के लिए मेज–1	20 वर्ग मीटर
9.	सम्मेलन कक्ष अथवा सभा कक्ष (1)	लम्बी मेज–1, कुर्सियां–25; मेजें व कुर्सियां–दोनों—25–25	60 वर्ग मीटर

*सामग्री उत्पादन केन्द्र—उत्पादन खण्ड

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली वाले संस्थान, प्रशिक्षण, अध्यापन, शिक्षा ग्रहण करने और मूल्यांकन सम्बन्धी सामग्री तैयार करते हैं और उसे उपयोग में लाने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम की सफलता यही है कि इसकी गुणवत्ता अच्छे स्तर की हो, यह अधिक मात्रा में हो और भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री तैयार की जाये।

उपयुक्त तो यही होगा कि इस केन्द्र में लेजर प्रिन्टर के साथ डी० टी० पी०, डॉट मैट्रिक्स, जेरोक्स मशीन, इलाक्ट्रानिक टाइपराइटर जैसे यंत्र-संयंत्र तथा मुद्रण की सुविधा उपलब्ध रहे। ओडियो कैसैट तैयार करने वाले केन्द्र में ओडियो टेप रिकार्डिंग मशीनें, उच्च श्रेणी के बहुत से टेप तैयार करने के लिये ओडियो कैसेट, साउण्ड डबिंग यंत्र संयंत्र तथा सम्पादन के काम में आने वाली मशीनों की आवश्यकता रहती है। दृश्य सामग्री तैयार करने के लिये वीडियो उत्पादन केन्द्र भी साथ में हो जिसमें वीडियो कैमरे, प्रकाश तथा ध्वनि संयंत्र, वी० सी० आर०, सम्पादन यंत्र-संयंत्र (उपस्कर) रहें।

**पुस्तकालय

मुख्यालय/नोडल केन्द्र में एक अच्छे सुसज्जित पुस्तकालय का होना अनिवार्य है जिसमें शिक्षा विषय की विभिन्न शाखाओं पर कम से कम 1000 पुस्तकें रहें। इसके अतिरिक्त उसमें मानक सन्दर्भ-ग्रंथ, हस्त-पुस्तिकायें, विश्वकोश भी होने चाहिये, साथ ही शिक्षा व्यवसाय पर कम से कम 12 पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसा प्रावधान भी रहना चाहिये कि प्रति वर्ष हाल ही में प्रकाशित कम से कम 100 पुस्तकों की वृद्धि उसमें होती रहे।

3.1.3 कर्मचारी आवास गृह

अपेक्षित

प्राचार्य/निदेशक के लिये आवास गृह की व्यवस्था परिसर में ही की जा सकती है। अध्यापक वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये भी आवासगृहों की व्यवस्था होनी चाहिये। जिन क्षेत्रों में रहने के मकानों की गम्भीर समस्या है, वहां सभी कर्मचारियों (अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक वर्ग, दोनों के लिये) आवासगृहों की व्यवस्था की जा सकती है।

3.2 अध्ययन केन्द्र

अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों/महाविद्यालयों या कालेजों में स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु वे विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही स्थित होने चाहिये। बी० एड/एम० एड में शिक्षा देने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों को ही, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है, अध्ययन केन्द्र माना जायेगा। किन्तु शर्त यह है कि ऐसा कोई भी संस्थान केवल एक ही अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा। विद्यार्थियों को प्रदत्त-कार्य (एसाइन मेन्ट्स) उत्तर सामग्री, ट्यूटोरियलों, परामर्श, समूह चर्चा, आयोजित करने तथा व्यक्तिगत अध्ययन आदि तथा एसाइन-मेन्ट्स के प्रदर्शनार्थ वहां पर्याप्त स्थान और सुविधायें उपलब्ध रहनी चाहिये।

3.2.1 भवन में स्थान तथा सुविधायें

निम्नलिखित निर्मित स्थान निर्धारित किया गया है। कम से कम इतने स्थान का होना अनिवार्य है :

	संख्या	क्षेत्रफल
1. कक्षा के कमरे	1	20 वर्ग मीटर
2. बहुउद्देश्यीय कक्ष	1	60 वर्ग मीटर
3. हाल	1	125 वर्ग मीटर

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

	संख्या	क्षेत्रफल
4. कम्प्यूटर, प्रायोगिक मनोविज्ञान, शिक्षा प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला आदि	1	लगभग 60 वर्ग मीटर भण्डारण स्थान के लिए 45 वर्ग मीटर
5. कम से कम 25 विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय	1	भंडारण स्थान सहित 50 वर्ग मीटर
6. प्रसाधन (शौचालय आदि) की सुविधाओं सहित प्राचार्य का कक्ष	1	25 वर्ग मीटर
7. स्टाफ कक्ष	1	40 वर्ग मीटर
8. कार्यालय कक्ष	1	40 वर्ग मीटर
9. भंडार कक्ष	1	25 वर्ग मीटर
10. सामान्य बैठक विश्राम कक्ष, जिसमें छात्राओं के लिए पर्याप्त स्थान रहे		
11. लड़कों, लड़कियों तथा अध्यापकों/कर्मचारियों के लिए अलग प्रसाधन (शौचालय आदि)		25 वर्ग मीटर
12. कम से कम दो स्थानों पर पीने के पानी की सुविधाएं जहां कार्य-समय के दौरान हर समय पानी उपलब्ध रहे।		
अपेक्षित		
1. संगोष्ठी (सेमिनार) कक्ष	1	25 विद्यार्थियों के लिए 75 वर्ग मीटर
2. विज्ञान खंड, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अलग-अलग प्रयोगशालाएं	हर एक के लिए	75 वर्ग मीटर, साथ में भंडार के लिए 15 वर्ग मीटर
3. लघु समूह कार्य कक्ष	2	25 वर्ग मीटर
4. अध्यापक वर्ग के लिए अलग कमरे	4	20 वर्ग मीटर
5. कैन्टीन, यदि संभव हो तो सहकारी आधार पर		

अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख मार्गदर्शन के लिये है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य रहें जिनमें बिना किसी कठिनाई के अपेक्षित संख्या में पठन-पाठन का काम सुचारू रूप से सुविधापूर्वक चल सके।

3.2.2 बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला

बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) मनोविज्ञान प्रयोगशाला

दूरस्थ अध्यापक शिक्षा प्रणाली वाले संस्थानों के यहां शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के लिये मनोविज्ञान प्रयोगशाला और अन्य उपकरण (यंत्र-संयंत्र) होने चाहिये। अपेक्षा तो यह की जाती है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला अलग से हो जिसमें भण्डारण/प्रदर्शनी, उपकरण (यंत्र-संयंत्र) तथा अन्य दूसरी सामग्री रखने के लिये पर्याप्त स्थान मौजूद हो।

(ख) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

एक ऐसी प्रयोगशाला होनी चाहिये जिसमें छोटे-छोटे समूहों में विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक या प्रयोगधर्मी कार्य करने के लिये कम्प्यूटर सहित पर्याप्त श्रव्य-दृश्य तथा अनेक प्रकार के जनसंचार के यंत्र-संयंत्रों की व्यवस्था रहे। शिक्षण के काम में आने वाली सामग्री का उत्पादन करने के लिये संस्थान के कर्मचारी भी इस प्रयोगशाला को उपयोग में ला सकेंगे।

3.2.3 पाठ्यक्रम विशेष प्रयोगशाला

मनोविज्ञान प्रयोगशाला

अनिवार्य

पाठ्यक्रम की आवश्यकतानुसार शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित परीक्षणों के लिय यंत्र-संयंत्र। बुद्धिपरीक्षण (निष्पादन अमौखिक, मौखिक) प्रवृत्ति परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट), व्यक्तित्व का स्वरूप, मनोवृत्ति परीक्षण तथा रुचियां-अभिरुचियां।

अपेक्षित

उक्त परीक्षण अनेक बार, संवेदी यंत्र (सेंसरी मोटर) परीक्षण।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
दिल्ली-54

IndiaCode

(ख) शिक्षा प्रौद्योगिकी

अनिवार्य

ओडियो कैसट रिकार्डर (टू-इन-वन), स्लाइड और फिल्म दिखाने वाला प्रोजेक्टर (स्लाइड-कम-फिल्म-स्ट्रिप प्रोजेक्टर), 16/35 मि०मी० स्टिल कैमरा टी०वी, वी०सी० पी०, ओडियो वीडियो कैसेट तथा चार्ट और स्लाइडें तथा ट्रांसपेरेन्सीज तैयार करने के लिये आवश्यक कला सामग्री। पर्सनल कम्प्यूटर (पी० सी०) रेडियो, वी० सी० आर० एम्प्लीफायर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन वीडियो कैमरा।

अपेक्षित

इन्टरनेट ई० मेल

3.2.4. पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं

अनिवार्य

अध्ययन केन्द्र में स्थापित पुस्तकालय में प्रारम्भ में स्वयं पढ़कर सीखने वाली/मोड्यूलर सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकों की अनकों प्रतियां रहनी चाहिये। स्वयं पढ़कर सीखने वाली मोड्युलर सामग्री की कम से कम पांच-पांच प्रतियां उपबब्ध कराई जाएं। इनके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों तथा सन्दर्भ-ग्रंथों सहित उसमें कम से कम 2000 पुस्तकें रहनी चाहिये। अध्ययन केन्द्र को शिक्षा-क्षेत्र से सम्बन्धित कम से कम बारह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओं को मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसा भी अनिवार्य होना चाहिये कि उनमें प्रति वर्ष कम से कम 100 नई प्रकाशित पुस्तकों की वृद्धि होती रहे।

अपेक्षित

पाठ्य-पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों सहित कम से कम 5000 पुस्तकें, साथ में प्रति वर्ष कम से कम 150 नई प्रकाशित पुस्तकों की वृद्धि करते रहने का प्रावधान होना चाहिये। केन्द्र को कम से कम 15 व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाएं मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

3.2.5 फर्नीचर

अध्ययन केन्द्र में जितने भी कमरे हैं उन सभी में उचित ढंग का फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। संस्थान के भिन्न-भिन्न कमरों के लिये फर्नीचर के मानक नीचे दिये जा रहे हैं :

मानक

फर्नीचर का स्वरूप	अनिवार्य	अपेक्षित	
1	2	3	4
1. परामर्शसत्रों के लिये प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 1 सैट	प्रत्येक कक्षा के लिए 25 सैट	30 सैट	
अध्यापक के लिये मेज तथा कुर्सी, ब्लैकबोर्ड	1 सैट (2.5 मी० 1 मी×1 मी) एक	अच्छे आकार के दो	
2. सेमिनार आदि के लिये	—	इतनी जो 35 विद्यार्थियों एवं 10-15 अध्यापकों के लिये पर्याप्त रहें	
3. मंच सहित हाल/सम्मेलन कक्ष (एक) तथा कुर्सियां	—	इतने बड़े आकार का जिसमें 100-150 व्यक्तियों के लिए स्थान रहे	
4. बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला : (विज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा प्रौद्योगिकी)	प्रत्येक प्रयोगशाला में 2	प्रत्येक प्रयोग में 5	
काम की टेबिल (1.25×0.9×0.1) स्टूल (0.6 ऊंचाई)	प्रत्येक प्रयोगशाला में 25	प्रत्येक प्रयोग में 50	
प्रदर्शन टेबिल तथा कुर्सी	प्रत्येक प्रयोगशाला में एक	प्रत्येक प्रयोग में 2	
लोहे की अलमारी, स्टोरेज रेक्स	प्रत्येक प्रयोगशाला में एक	प्रत्येक प्रयोग में 2	
	प्रत्येक प्रयोगशाला में 2	प्रत्येक प्रयोग में 4	
5. प्राचार्य/प्रधान/निदेशक का कक्ष टेबिल, लोहे की अलमारी, पुस्तक-रैक, फाइल कैबिनेट, टेलीफोन/फैक्स कुर्सियां	हर वस्तु एक 10	हर वस्तु एक 15	
6. अध्यापक कक्ष आलमारी/कैबिनेट, मेज और कुर्सियां	एक	—	

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

163

1	2	3	4
7.	कार्यालय कक्ष कुर्सी तथा मेज, अतिरिक्त कुर्सियां, लोहे की अलमारी कैबिनेट, फाइल रैक, सूचना पट्ट, स्टूल	एक या दो जहां यह साज सामान पर्याप्त संख्या में हो	—
8.	भण्डार कक्ष लोहे की अलमारी, सामान रखने वाले रैक आदि	प्रत्येक भण्डार कक्ष में तीन	प्रत्येक भण्डार कक्ष में चार या पांच
9.	विद्यार्थी कक्ष कुर्सियां, लम्बी टेबिल आदि		जो 40 विद्यार्थियों के लिये काफी हों

3.3 व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (पी० सी० पी०) केन्द्र

अध्ययन केन्द्रों में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। इन केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में श्रव्य-दृश्य उपकरणों की व्यवस्था रखनी होगी। इन केन्द्रों के लिए नियुक्त कर्मचारी वर्ग में एक समन्वयक (कोआर्डिनेटर) कम से कम चार अध्यापक प्रशिक्षक तथा अंशकालिक आधार पर आवश्यक सहायक तकनीकी कर्मचारी रहे। पढ़ाये जाने वाले विषयों की आवश्यकताओं के अनुसार अंशकालिक अध्यापकों का चयन भी किया जा सकता है। समन्वयक के कक्ष, परामर्श कक्षों, श्रव्य-दृश्य यंत्र संयंत्रों के प्रदर्शन, पुस्तकालय में पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री एवं भण्डार आदि के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध रहनी चाहिये।

4. शैक्षणिक अवदान : पात्रता

4.1 प्रवेश केवल उन्हीं प्रत्याशियों को दिया जायेगा जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो, साथ ही बी० एड अथवा समकक्ष परीक्षा में जिसके कम-कम 50 प्रतिशत अंक रहे हों, और जिनके पास विश्वविद्यालय संस्थान के अधिकार क्षेत्र में पूर्ण-कालिक नियमित अध्यापक-प्रशिक्षक-शोधकर्त्ता /नीति-निर्धारक/ अध्यापक/शिक्षा प्रशासक के पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो।

संवैधानिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार सीटें आरक्षित रखी जानी चाहिए ।

4.2 चयन क्रियाविधि :

प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जायेगा । योग्यता का निर्धारण शिक्षा के क्षेत्र में काम की अवधि योग्यता-निर्धारण परीक्षा (बी० एड०) अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में प्राप्त सफलता के स्तर तथा अध्ययन केन्द्रों पर सुगमता से पहुंचने की सुविधा पर विचार करके तथा/अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण-विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर अथवा स्वयं संस्थान द्वारा ली गई/चयन परीक्षा/लिये गये साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा । अध्यापक शिक्षा संस्थानों/जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों आदि में कार्यरत व्यक्तियों को वरियता दी जायेगी ।

4.3 सामग्री :

(क) दूरस्थ शिक्षा फार्मेट में स्वयं पढ़कर सीखने की पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री, नमुने के बतौर ऐसी मुद्रित सामग्री का जिसका मूल्यांकन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया हो ।

(ख) हर एक पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र के लिए श्रव्य-दृश्य सामग्री (पैकेजेज) की पर्याप्त व्यवस्था ।

(ग) नियमित एसाइनमेन्ट्स, जिनका निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा-पूरा मूल्यांकन आवश्यक/पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम में दो एसाइनमेन्ट्स रहेंगे।

4.4 सम्पर्क कार्यक्रम :

कम से कम 360 घंटे का अनिवार्य सम्पर्क कार्यक्रम जिसमें 12 सप्ताह तक प्रति दिन अधिक से अधिक 6 घंटे तक शोध-प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शन का कार्यक्रम सम्मिलित रहेगा । यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/शिक्षा महाविद्यालयों के योग्यता-प्राप्त अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा चलाया जायेगा । कार्यक्रम के दौरान समूह कार्य, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिक्रियाओं, अनुभवजन्य ज्ञान और छोटे-छोटे समूहों में क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त अनुभवों पर जोर दिया जायेगा ।

कम से कम 360 घंटे के सम्पर्क कार्यक्रमों का होना अनिवार्य है । इन कार्यक्रमों का उपयोग शिक्षण-प्रशिक्षण/ शैक्षिक/शोध-कार्य सम्बन्धी गतिविधियों का काम आगे बढ़ाने के लिए किया जायेगा; इनमें सिद्धान्त, प्रायोगिक

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

शिक्षण-अभ्यास, समूहचर्चा, शोध प्रबन्ध लेखन, अध्यापक शिक्षा संस्थानों में इन्टर्नशिप का कार्य पर जोर दिया जायेगा ।

4.5 मूल्यांकन :

पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या एवं सह-पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में निर्धारक तथा योगात्मक मूल्यांकन किया जायेगा । विश्वविद्यालय/परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन निरन्तर एवं व्यापक रूप से होता रहे । जब भी आवश्यक हो मूल्यांकन के लिए लिखित, प्रायोगिक, मौखिक तथा अन्य किसी नवीन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है । दत्त कार्य (एसाइनमेन्ट्स), प्रायोगिक तथा अन्य कार्यों के आधार पर संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपेक्षित जानकारी निरन्तर मिलती रहे । सिद्धान्त पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारक (आंतरिक) मूल्यांकन में कम से कम 25 प्रतिशत अंक अधिक दिये जाएंगे । प्रत्येक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारक (आंतरिक) तथा योगात्मक (बाह्य) के मूल्यांकन के आधार पर उतीर्ण होने के निर्धारित अंक अलग-अलग रहेंगे । शोध-प्रबन्ध-लेखन/परियोजना कार्य पर आंतरिक तथा बाह्य मूल्यांकन दोनों में 50 प्रतिशत का इजाफा दिया जायेगा ।

5. वित्तीय प्रावधान :

5.1 वृत्तिदान (एण्डाउमेन्ट) तथा आरक्षित निधि :

दूरस्थ माध्यम से शिक्षा में स्नातकोतर उपाधि (एम० एड०) पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत और ऐसा होना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति से कार्य चलाना संभव हो । सरकार/स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों/विश्वविद्यलय के संस्थानों को चाहिए कि वे उसे समय-समय पर पर्याप्त आर्थिक सहायता देते रहें । निजी उद्योग से चलाये जाने वाले संस्थानों के पास 5 लाख रुपये की वृत्ति दान निधि और इतनी आरक्षित निधि होनी चाहिए जिससे वे अपने कर्मचारियों को तीन माह का वेतन देने में समर्थ हों ।

5.2 लेखा-परीक्षा :

संस्थान को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रमवार बजट बनाने, खर्च की मंजूरी देने, लेखा रखने और लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं पद्धतियों को अपनाना चाहिए । वार्षिक लेखा-विवरण की लेखा-परीक्षा विधिवत स्वीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सहित सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए ।

5.3 लागत खर्च :

5.3.1 अनावर्ती लागत खर्च :

मोडल केन्द्र :

(क) शैक्षिक खण्ड, (ख) प्रशासकीय खण्ड तथा (ग) संसाधन खण्ड के लिए पर्याप्त स्थान तथा साज-सामान की फिटिंग सहित संस्थान के लिए उपयुक्त भवन हो तथा साथ ही अध्ययन केन्द्र और व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम केन्द्र (पी० सी० पी०) के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था रहें । भवन, पुस्तकें, फर्नीचर, वृत्तिदान निधि आदि पर होने वाले अनावर्ती लागत खर्च का पर्याप्त अनुमान 40 लाख रुपये से कम होने का नहीं है ।

5.3.2 आवर्ती लागत खर्च :

वेतन (नियमित संकाय-सदस्य/कर्मचारी), अन्य आवर्ती लागत खर्च	वि० वि० अ० आयोग के मानकों के अनुसार प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 3000/- रु० की दर से
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं आदि	प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 200/- रुपये की दर से

6. एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम :

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, उपकरण, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथावश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं ।

सं० एफ० 28-11/96-एन० सी० टी० ई०—धारा 32 की उप धारा (2) के खंड (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) की धारा 14 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा संख्या एफ०-28-11/95-एन० सी० टी० ई०, दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 के अन्तर्गत जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदनपत्र, आवेदनपत्र, भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता, नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति की शर्तों का निर्धारण) विनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाये हैं ।

1. इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिये आवेदनपत्र, आवेदनपत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता, नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति की शर्तों का निर्धारण (संशोधन) विनियम, 1998 है ।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे ।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिये आवेदनपत्र, आवेदनपत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता, तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति की शर्तों का निर्धारण) विनियम, 1995 के [illegible] 7 (आवेदनपत्र भेजने की समयसीमा) के उप-पैरा

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

(ख) तथा (ग) को संशोधित कर दिया गया है और अब उनके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायेगा :—

(ख) प्रत्येक संस्थान को जो अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहता है, अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा, जो आगामी शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम चार महीने पहले वहां पहुंच जाना चाहिए ।

(ग) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिये कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदनपत्र क्षेत्रीय समिति को भेजा जायेगा जो उनके यहां आगामी शिक्षा-सत्र प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम चार महीने पहले पहुंच जाना चाहिए ।

सुरेन्द्र सिंह,
सदस्य सचिव

STATE BANK OF TRAVANCORE
ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA

Thiruvananthapuram, the 30th January, 1999

With reference to the Notice dated 23rd November, 1998, published in the Gazette of India regarding convening of a General Meeting of the shareholders of the State Bank of Travancore on Saturday the 30th January, 1999, at 11 a.m. at Tagore Centenary Hall, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram 695014, for the purpose of electing two shareholders to be Directors on the Board of the Bank in pursuance of Section 25 (1) (d) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and the notice dated 14th January, 1999, declaring the names of the valid nominees in pursuance of Regulation 33 of the SBI (SB) General Regulations,1959, NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following candidates were declared elected as Directors at the General Meeting of shareholders on 30-01-99.

1. Mr. P.O. Yatheendra Mohan,
 TC-7/1521-4, Kattachal Road,
 Thirumala P.O. Trivandrum-695005

2. Mr. K.P. Thomas,
 Kalapurakal, Ericadu, Puthupally P.O.
 Kottayam-686011

VEPA KAMESAM
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002 the 25th January, 1999

No. 13-CA (EXAM) /M/99—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Foundation, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :—

FOUNDATION EXAMINATION : (As per syllabus contained in para 1A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1983).

7th, 8th, 10th and 11th May, 1999.

INTERMEDIATE EXAMINATION : (As per syllabus contained in para 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988).

Group I : 3rd, 4th, and 5th May, 1999
Group II : 6th, 7th, and 8th May, 1999.

FINAL EXAMINATION : (As per syllabus contained in para 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountnats Regulations, 1988).

Group I : 3rd, 4th, 5th and 6th May, 1999.
Group II : 7th, 8th, 10th and 11th May, 1999.

EXAMINATION CENTRES :

(i) CENTRES IN INDIA :

(1) Agra (2) Ahmedabad (3) Ajmer
(4) Allahabad (5) Alleppey (6) Ambala
(7) Amritsar (8) Asansol (9) Aurangabad
(10) Bangalore (11) Baroda (12) Belgaum
(13) Bhopal (14) Bhubaneswar (15) Calcutta
(16) Calicut (17) Chandigarh (18) Chennai
(19) Coimbatore (20) Cuttack (21) Dehra Dun
(22) Delhi/New Delhi (23) Ernakulam (24) Faridabad
(25) Gauhati (26) Ghaziabad
(27) Goa (28) Gwalior (29) Hisar
(30) Hyderabad (31) Indore (32) Jabalpur
(33) Jaipur
(34) Jammu (35) Jamshedpur (36) Jodhpur (37) Kanpur (38) Kota (39) Kottayam (40) Lucknow
(41) Ludhiana (42) Madurai (43) Mangalore

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
दिल्ली-54

IndiaCode